बहुजनों का बहुजन भारत

व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पित हिन्दी साप्ताहिक | जन्म दिवस- 15 मार्च, 1934

नई दिल्ली | वर्ष 17 अंक 12 | संपादक-वामन चिंधूजी मेश्राम | 19-24 मार्च, 2018 | प्रकाशन तिथि 25 मार्च, 2018 | पृष्ठ-8,मूल्य-5 रूपये | वार्षिक सहयोग राशि-250 रूपये

महाड़ सत्याग्रह की 90वीं वर्षगाठ पर बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा का विशाल ओबीसी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न।

स्मृति दिवस 18 मार्च, 2018

सभी प्रकार की रचनात्मक बुद्धिमत्ता पिछड़े वर्ग के पास है। वैदिक ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को अच्छी तरह से पहचाना था, इसलिए वैदिक ब्राह्मणों ने अतार्किक धर्मग्रंथों का शास्त्र के ना पर निर्माण कर पिछड़े वर्ग को ज्ञान वंचित रखा था। पिछड़े वर्गो को ज्ञान वंचित रखने का ब्राह्मणवादी व्यवस्था का षड्यंत्र इसलिए था कि उसमें उनकी वर्ण श्रेष्ठ की भावना थी, जिसे वे अबाधित रखना चाहते थे। अगर पिछड़ा वर्ग को ज्ञानवंचित नहीं किया जाता तो ज्ञान क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के पास रहता और ब्राह्मणों का महत्व कभी भी नहीं बढ़ता।

दिवंगत जैमनी कड़ू सर....

भावभिनी पुष्पांजली

महाड़ (महाराष्ट्र)

20 मार्च 2018 को महाड़ में बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में राज्य स्तरीय ओबीसी परिषद का एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतंत्र बचाने के लिए और ईवीएम के राक्षस को मारने के लिए हम कांग्रेस जैसे शैतान का साथ भी देंगे और बाद में इस शैतान को भी देख लेंगे। यह बात भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने मंगलवार को महाड़ में राज्य स्तरीय ओबीसी परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

आपने बताया कि बाबासाहब डा.अम्बेडकर के एतिहासिक महाड़ तालाब आन्दोलन के क्रांति दिवस के उपलक्ष में मंगलवार इस विशाल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मूलनिवासी बहुजनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे शासक वर्ग में खौफ का माहौल व्याप्त हो उठा।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़खानी करके ही भाजपा ने केंद्र और राज्यों पर कब्जा किया है। उन्होंने ईवीएम में घोटालों के मसले पर कहा कि पहले कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर 2004 और 2009 में ईवीएम घोटाला किया था, ये बात जब लीक हुई तो जी.वी.एल.नरसिम्हा राव और सुब्रमण्यम स्वामी (दोनों आरएसएस के ब्राह्मण) ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम छेड़खानी के खिलाफ केस दायर किया। फजीहत से बचने के लिए कांग्रेस ने आरएसएस से संपर्क किया और गुप्त समझौता किया और इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने बारी-बारी से लोकतंत्र की सरेआम हत्या किया।

उधर सुप्रीमकोर्ट ने ईवीएम की दोषपूर्णता को देखते हुए इसमें एक अतिरिक्त उपकरण वीवीपैट (वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल) को जोड़ने का आदेश चुनाव आयोग को 08 अक्तूबर 2013 को दिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में बगैर पेपर ट्रेल मशीन लगाए ही ईवीएम मशीन से चुनाव करवा दिया। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अधिवेशन में हुए ईवीएम के विरोध पर कहा कि ईवीएम मशीन कांग्रेस की ही देन है।

शेष अगले अंक में...

बहुजनों का बहुजन भारत साप्ताहिक अखबार के सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि, बहुजनों का बहुजन भारत का पता में परिवर्तन किया गया है। कृपया नये पते पर डाक भेजे।

-नया पता-

बहुजनों का बहुजन भारत
मकान न० 52 ,गली न० 2 फैजरोड, नियर जोशी रोड,
करोलबाग नई दिल्ली 110005
फोन 011>6459262मो० 9415037180

अतः आप सभी से निवेदन है कि, अखबार का मनिऑडर/**SPEED POST**
अथवा कोई भी डाक उपरोक्त पते पर भेजेने का कष्ट करे।
धन्यवाद।

अपने महापुरूषों का आंदोलन घर-घर तक पहुँचाना होगा-भानजी भाई राठौर

सिरोही/राजस्थान

19 मार्च 2018 सोमवार को राजस्थान के जिला सिरोही में बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के एक दिवसीय जिला कैडर कैम्प को संबोधित करते हुए कही। मूलनिवासी महापुरूष बहुजन नायक राष्ट्रपिता जोतिराव फुले ने जिस आंदोलन को 1848 में शुरू किया था, उस आंदोलन को विश्वरत्न, संविधान निर्माता डॉ.बाबासाहब अम्बेडकर ने 1956 तक कड़े संघर्ष और अथक प्रयास से चलाया जो उनके जाने के बाद लगभग खत्म होने की कगार पर पहुँच गया था, जिसकों मान्यवर कांशीराम ने जिंदा किया, लेकिन वह आंदोलन आज के समय में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है।

महापुरूषों के आंदोलन को आज बामसेफ एंव भारत मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यदि अपने महापुरूषों के आंदोलन को कामयाब बनाना है तो हमें उनकी विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाना होगा। यह बात बामसेफ के प्रदेश प्रभारी मा.भानजी भाई राठौर ने

बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय प्रशिक्षण राजस्थान के जिला सिरोही में भारी कामायाबी के साथ सम्पन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़-चढ़कर न केवल हिस्सा लिया, बल्कि मूलनिवासी बहुजन समाज के सभी संत और महापुरूषों के आंदोलन को गाति देने वाले बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा सहित सभी ऑफसूट संगठनों का साथ देने का संकल्प भी लिया। उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए मा.भानजी भाई राठौर ने बताया कि आज देश में बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसा संगठन है जो मूलनिवासी बहुजन समाज के संत एवं महापुरूषों की विचारधारा पर केंद्रित उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है जिस आंदोलन की नींव प्राचीन काल में तथागत बुद्ध ने डाली थी।

उस आंदोलन को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1848 से तेज धार दी और उस आंदोलन को 1916 से 1956 तक डॉ.बाबासाहब अंबेडकर ने अपने अथक संघर्ष और विरोधियों के घोर विरोधों के बाद भी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए यूरेशियन ब्राह्मणों में हाहाकार मचा दिया था। परिणाम-स्वरूप ब्राह्मणों ने बाबासाहब

की हत्या की। यदि ब्राह्मणों द्वारा बाबासाहब ही हत्या नहीं की गयी होती तो ब्राह्मणवाद का अब तक खात्मा हो चुका होता। वहीं प्रशिक्षण में मौजूद बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक मा.प्रवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा फुले, शाहू, अम्बेडकरी विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए पूरे देश में जागृति का कार्यक्रम चला रहा है। इस जन-जागृति के कारण जो हमारा समाज अपने इतिहास को कभी नहीं जान सका आज वही समाज न केवल अपने इतिहास के बारे में सब कुछ जानने लगा है, बल्कि अपने दुश्मनों की पहचान भी करने लगा है।

इसके साथ मा.एन.बी सुडिया ने कहा कि बाबासाहब डॉ.भीमराव अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए बहुजन समाज के प्रत्येक युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान एवं मूलनिवासी बहुजनों में विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना होगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित इं.बी.एल सुखाड़िया ने बामसेफ मिशन के कई बिंदुओं पर चर्चा की, साथ ही बरिगा राम वर्मा, हिम्मत राम बौद्ध, जवाहर राम पंचाल, बबन राम सहित कई बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण को संबोधित किया। वहीं प्रशिक्षण का सफल संचालन पुरखाराम ने किया।

मौलाना हजरत सज्जाद नोमानी साहब पर लगाये गये देशद्रोह का मुकदमा के खिलाफ पूरे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा एवं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न।

हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के समर्थन मे
लखनऊ / उ.प्र.एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन 21/03/2018

प्रतापगढ़,राजस्थान

दलितों की दुर्दशा कारण और निवारण

निरंतर...

दलित पिछड़ों की एकता का प्रयास आज तक क्यों असफल रहा। पेरियार ई.वी.रामास्वामी लंबे समय तक ९२ वर्ष की आयु तक तमिलनाडू में दलित-पिछड़ा एकता के लिए संघर्ष करते रहे। यहाँ तक कि धर्म व ईश्वर के विरूद्ध जेहाद छेड़ते रहे। परन्तु पिछड़ों ने संगठित होकर ब्राह्मणों को राजनीतिक सत्ता से तमिलनाडू में बाहर कर दिया। परन्तु ब्राह्मणवादी कुसंस्कारों ने उन्हें जकड़ रखा। अतः पिछड़े वर्ग के घेवरव बन्नियार जाति के पिछड़े वर्ग ने दलितों पर ब्राह्मणों की भांति अत्याचार जारी ही नहीं रखा बल्कि बढ़ा भी दिया। इसका सुंदर विश्लेषण मा.चंद्रभान प्रसाद व डा.तुलसी राम ने अपने लेखों में बड़े सुन्दर ढ़ंग से दिया है।

मा.चन्द्रभान प्रसाद के अनुसार तमिलनाडू में ब्राह्मण ३ प्रतिशत हैं और सत्ता से बाहर हैं। वहाँ १०० में से ६४ दलित भूमिहीन कृर्षि मजदूर हैं तथा मात्र १५ स्वतंत्र जोतुदम हैं। १९६७ से अब तक तमिलनाडू में शूद्र राजनीति का वर्चस्व जारी है और वहाँ की व्यापक दलित जनसंख्या अपार कष्टों में जी रही है। जयललिता के सेक्यूलर फ्रंट का मूल सामाजिक आधार दो भूस्वामी जातियाँ-थेवर व बन्नियार थीं, जिनका तमिलनाडू की जनसंख्या में ३६ प्रतिशत का हिस्सा है। दलित पार्टी के नेता डा.किशनासामी ने जिन्हें तमिलनाडु का कांशीराम कहा जाता है, कहा कि थेवर वर्चस्व वाली जयललिता आरएसएस से भी अधिक खतरनाक है। तमिलनाडु में दूसरी दलित पार्टी है ''दलित पेंथर आफ इंडिया'' जिसका केन्द्र बन्नियार वर्चस्व के उत्तरी तमिलनाडु में है। जिस प्रकार दक्षिणी तमिलनाडु में दलितों का थेवरों के साथ खूनी संघर्ष चल रहा है, वैसे ही उत्तरी तमिलनाडु में दलित बन्नियारों से जूझ रहे हैं। किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों दलित पैंथर एनडीए में शामिल हो गया था।

करूणानिधि नाई समतुल्य अति पिछड़ी जाति के हैं। जब करूणानिधि ने दोनों दलित पार्टियों तथा अति पिछड़ी जातियों को संगठित करने की योजना बनायी तो थेवर व बन्नियार जयललित के साथ हो गये। जिस तरह ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन में ब्राह्मणों का भूत खड़ा कर थेवरों एवं बन्नियारों ने दलितों का समर्थन पाया, उसी प्रकार एनडीए के साम्प्रदायिकता का भूत खड़ा कर इन भूस्वामियों थेवर व बन्नियार जातियों ने अल्पसंख्यकों का समर्थन लूट लिया।

डॉ.तुलसी राम ने सही लिखा है कि पिछड़ी जातियों के नेतागण सन् १९६० के दशक से ही दलितों के समानन्तर अपनी राजनीति का एक पुख्ता आधार तैयार करने की एक मुहिम चलाते आ रहे थे, जिसका मूल उद्देश्य था कांग्रेस के विजय-प्रदायी दलित आधार को तोड़ना। १३ अगस्त १९९० को मान्य वी.पी. सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। आनेवाले दिनों में उसमें निहित ''सामाजिक न्याय'' की प्रस्तावना दिनों दिन छोटी होती गई। संघ परिवार ने १९९० में मंडल कमीशन के विरूद्ध देशव्यापी 'आत्मदाही' अभियान चलाया था। हाल ही में संघ परिवार की केन्द्रीय सरकार द्वारा जाटों को दिया गया आरक्षण सामजिक न्याय का एक क्रूर मजाक बन चुका है। चुनावी राजनीति में जाट अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके दलितों को कभी वोट नहीं डालने देते। जाट शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े कुछ हद तक जरूर हैं पर गरीबी के कारण नहीं, बल्कि सामंती सोच एवं चरित्र के कारण। दलितों पर अत्याचार के लिए जाट इतिहास प्रसिद्ध है। मंडल कमीशनके संदर्भ में रोचक तथ्य यह है कि इसका जैसे-जैसे राजनीतिक विस्तार होता जा रहा है, वैसे-वैसे देशभर में दलित विरोधी भावनाओं तीव्रतर होती जा रही है। दलित आरक्षण विरोधी मुहिम में शामिल हो गये हैं। आज तक किसी पिछड़े वर्ग के नेता ने दलित आरक्षण के समर्थन में कोई वक्तव्य नहीं दिया। जबकि दलित वर्ग के नेतागण जिनमें कांशीराम भी शामिल थे, सदैव मंडल कमीशन की मुहिम में सक्रिय सहयोग देते रहे।

मीडिया विशेषतः टीवी चैनलों पर रूढ़िवादी आधारित एवं अंधविश्वास फैलानेवाले धार्मिक सीरियल दिखाए जा रहे हैं, जो अधिकाश अर्द्धशिक्षित-अशिक्षित, पिछड़े व दलित वर्ग को दिग्भ्रमित करके सदियों पीछे अंधकार के गर्त में ढ़केल रहे हैं। पर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में दलितों पर अत्याचार पिछड़े वर्ग के ही लोग अधिक कर रहे हैं।

आजकल तमिलनाडु में पिछड़ी जाति के धेवर आदि गांवों में वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना का अभियान चला रहे हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर छुआछूत फिर से स्थापित होने लगी है। उत्तर भारत में एक ासब से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मंडल कमीशन के लागू होते ही हिन्दू साम्प्रदायिक शक्तियों का विकास बड़ी तेजी से शुरू हो गया तथा आठ वर्ष के भीतर ही उनका केन्द्र पर शासन स्थापित हो गया जिसमें जनता दल समेत मंडलीकरण के अनेक नेता शामिल हो चुके हैं। जिस तरह दक्षिण भारत में पेरियार के सिद्धान्तों को छोड़कर वहाँ का पिछड़ा वर्ग स्वयं कर्मकांडी ब्राह्मण बन गया ठीक यही प्रक्रिया अब उत्तर भारत में पिछड़ों में समहित होने लगी है और वे धार्मिक कर्मकांड के अनुवा बनते जा रहे हैं। जिसका सीधा संबंध वर्ण व्यवस्था से है। दलितों के लिए यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। यही हाल रहा तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का भ्रम भी पिछड़ी जातियों से शीध्र दूर हो जायेगा। अब सभी दलित जातियों को एकजुट होकर पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर एक सुदृढ़ संगठन बनकर साम्प्रदायिक शक्तियों का मुक. ाबला करना होगा। पिछड़े वर्ग के जागरूक व प्रगतिशील लोगों को भी अपने साथ लेने में कोई हर्ज नहीं।

पिछड़े ही बनते हैं ब्राह्मणों की कठपुतली-

आज सभी वामपंथी धर्म. निरपेक्ष पार्टियाँ बहुजन समा. जवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की आलोचना कर रही हैं। वे कहते हैं कि बहुजनएकता (दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक एकता) ही बहुजन समाज के हितों की करक्षा कर सकती है। इस एकता के अभाव में ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने निजीकरण एवं भ. ूमंडलीकरण की नीतियों से बहुजन समाज को अपूर्णनीय क्षति पहुँचाई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने की दिशा में काफी काम किया है और अपने अंतर्गत अनेक विभागों में साम्प्रदायिक तत्वों का जज्बा भरा है। संविधान समीक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक प्रणाली को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया विशेषतः टीवी चैनलों पर रूढ़िवादी आधारित एवं अंधविष्वास फैलाने वाले धार्मिक सीरियल दिखाए जा रहे हैं, जो अधिकांश अर्द्धशिक्षित-अशिक्षित, पिछड़े व दलित वर्ग को दिग्भ्रमित करके सदियों पीछे अंधकार के गर्त में ढ़केल रहे हैं। पर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में दलितों पर अत्याचार पिछड़े वर्ग के ही लोग अधिक कर रहे हैं।

उत्तर भारत में भूस्वामी पिछड़ी जातियाँ-कुर्मी, यादव, जाट, गुर्जर, लोध, पटेल तथा दक्षिण भारत में रेड्डी, कम्पा, वेलामा, नायू, नाडर, मुदलियार, थेवर, बन्नियार, लिंगायत, वोकलिंगा आदि दलितों पर अत्याधिक जुल्म व अत्याचार कर रही हैं। अभी हाल के महीनों में तमिलनाडु के कुछ जिलों में पिछड़ी जातियों के पंचायत चुनाव लड़ने के कारण दलितों पर अमानवीय अत्यारचार किये हैं। इनका विवरण

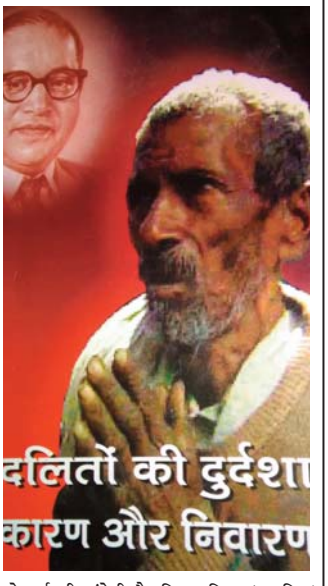

चेन्नई की अंग्रेजी द्वैमासिक पत्रिका 'द दलित' में छपा है। रामास्वामी पेरियार ने आजीवन दलित-पिछड़ा एकता के लिए संघर्ष किया, पर नाकाम रहे। कांशीराम ने भी बामसेफ मूवमेंट के दिनों में दलित-पिछड़ा एकता के लिए सफल अभियान चलाया और मंडल कमीशन के आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। परंतु पिछड़ों को ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता से बाहर निकालने में असफल रहे।

आज लगभग शत-प्रतिशत भूस्वामी पिछड़ी जातियाँ तथा अर्द्धशिक्षित-अशिक्षित बहुसंख्यक अति पिछड़ी तथा दलित जातियां भी ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता के जाल में फंसी हुई हैं और ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रही हैं। यही लोग शिवरात्रि पर कांवर ले जाते हैं, हनुमान मेले में भाग लेते हैं, और रामनवमीपर व्रत रखते हैं तथा वैष्णों देवी के दर्शन को जाते हैं। इन्हीं के कारण ब्राह्मणवाद जिंदा है। बिना ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता का समूल नाश किए दलित-पिछड़ा-मुस्लिमों को ही शामिल करना होगा और उच्चवर्गीय शेख, सैयद व पठान शासक वर्ग से सावधान रहना होगा। उच्चवर्गीय मुसलमान शासक वर्ग में भी उच्चवर्गीय सवर्ण हिन्दुओं की भांति श्रेष्ठता की भावना भरी हुई है। ये आज भी अपने दलित मुस्लिम भाईयों को हेय दृष्टि से देखते हैं। कुछ धर्म परिवर्तित मुसलमान आज भी अपना संबंध राजपूत, ब्राह्मण या अन्य उच्चजातियों से बताकर गर्व करते हैं, जो इस्लाम जैसे पवित्र धर्म का अपमान है।

शेष अगले अंक में...

संपादकीय...

कौन रोकेगा घोटाले

पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रूपये के घोटाले के बाद जिस तरह जान-बूझकर कर्ज न लौटानेवालों के साथ-साथ बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यही प्रकट होता है कि बैंकों का प्रबंधन कुप्रबधन का पर्याय बन चुका है। यह स्थिति केवल भ्रष्ट बैंक अफसरों और घोटालेबाजों के लिए ही हितकारी हो सकती है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सरकार जान-बूझकर कर्ज ने लौटानेवालों के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ अन्य अनेक उपाय कर रही है, क्योंकि धोखाधड़ी रोकने और घोटालेबाज तत्वों को घेरने-पकड़ने से ज्यादा जरूरी ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिससे घोटाले हा ही न सकें।

बीते दिन रिजर्व बैंक के गर्वनर ऊर्जित पटेल ने जिलस तरह ये कहा कि सरकारी बैंकों पर अंकुश लगाने के मामले में उनके हाथ बंधे हुए हैं उससे तो यही रेखांकित हुआ कि वित्त मंत्रालय अनावश्यक ही रिजर्व बैंक को जवाबदेह ठहरा रहा है। ऊर्जित पटेल के अनुसार न उनके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। वह न तो सरकारी बैंकों के चेयरमैन और निदेशक को हटा सकते हैं और न ही उनके लाईसेंस रद्द कर सकते है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकिंग नियमन संबंधी अधिनियम ने रिजर्व बैंक के अधिकार सीमित कर दिए हैं। आखिर ऐसे में वित्त मंत्रालय किस आधार पर पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले अथवा बैंकों के बढ़ते एनपीए के लिए उसे जवावदेह ठहरा रहा हैं?

निःसंदेह एक सवाल यह भी है कि सरकार जिन लोगों को बैंकों का चेयरमैन या निदेशक बनाती है उन्हें जवाबदेही के दायरे में क्यों नहीं लाती? यह किसी से छिपा नहीं है कि आम तौर पर इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं। कई बार तो ऐसे लोग सरकारी बैंकों के चेयरमैन या निदेशक बन जाते हैं जिन्हें बैंकिंग तंत्र की सही समझ भी नहीं होती। इससे भी खराब बात यह है कि वे बेंकों के हितों की परवाह ाकरने के बजाय राजनीतिक हि पूरे करने में लगे रहते हैं। वे जवाबदेही से भी बचे रहते हैं। आश्चर्य नहीं कि इसी कारण विलफुल डिफाल्टर भी बढ़ रहे हैं और बैंकों के फसे कर्ज की राशि भी । क्या यह अजीब बात नहीं कि सरकार लोगों पर भरोसा करने की बात तो करती है, लेकिन रिजर्व बैंक सरीखी नियमतक संस्था पर भरोसा नहीं कर पा रही है? आखिर वह रिजर्व बैंक को आवश्यक अधिकारों से लैस क्यों नहीं करना चाहती? निःसंदेह सरकार को नीतियाँ बनाने-बदलने का अधिकार है, लेकिन बैंकों के नियमन की पूरी जिम्मेदारी तो रिजर्व बैंक के पास ही होनी चाहिए। दोहरी व्यवस्था तो साझे की खेती हुई और सब जानते हैं कि इस तरह की खेती का क्या हश्र होता है? आखिर रिजर्व बैंक को पर्याप्त अधिकार दिए बिना उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने का क्या मतलब? इस सवाल का जवाब देने के साथ सरकार को यह भी बताना चाहिए कि देश में इतने अधिक सरकारी बैंक क्यों होने चाहिए? अगर वह राजनीतिक कारणों से उनका निजीकरण नहीं कर सकती तो फिर उनकी संख्या तो सीमित कर ही सकती है। बेहतर हो कि वह यह समझे कि एक आदर्श और भरोसेमंद व्यवस्था वही होती है जिसमें घपले-घोटाले होने ही न दिए जाएं।

!! जय मूलनिवासी !!

मा.कांशीराम ने दोस्त और दुश्मन की पहचान करायी

पिछले अंक का शेष...

उन्होंने जब समाज व्यवस्था और राज व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण किया तो उन्होंने यह महसूस किया कि ''हमारे समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हैं।'' दूसरा यह कि समाज के दुश्मन अर्थात ब्राह्मणों ने हमारे समाज की मानसिकता में कूट-कूटकर भर दिया है कि समाज के लोग अपने बलबूते 'कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ''नहीं हो सकता।'' की मानसिकता निर्माण की हुई है। फिर उन्होंने यह पाया कि भारतीय संविधान के जरिये भारत में लोकतंत्र लागू है और लोकतंत्र में बहुमत वाले लोग ही शासक होते हैं। मगर ब्राह्मण भारत में सर्वाधिक अल्पसंख्यक होते हुए भी भारत की समस्त सत्ताओं पर काबिज है। कई वर्षों तक गहन चिन्तन और मनन करने के पश्चात उन्होंने अपने संस्थान में ही कार्यरत मा.डी.के.खापर्डे, दीनाभाना जी जैसे निडर लोगों के साथ मिलकर 'बामसेफ' नामक संगठन का निर्माण किया।

सन् 1971 में कांशीराम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मिशन के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया। सन् 1973 में बामसेफ यानी ''आल इण्डिया बैकवर्ड एण्ड माइनोरिटीज इम्प्लाईज फेडरेशन'' की नीव रखी और 1976 में दिल्ली के वोट क्लब मैदान में संगठन की अधिकारिक तौर पर घोषणा की। मिशन के प्रति समर्पित अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांशीराम ने 'बामसेफ' नामक संगठन के माध्यम से समाज के पढ़े-लिखे वर्ग में सामाजिक चेतना पैदा की और उन्हें समाज का ऋण चुकाने के लिए तैयार किया। उन्होंने संगठन के माध्यम से समाज के करोड़ों लोगों में सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित कर जुनून पैदा किया। समाज में गैर राजनीतिक जड़ो को लगाया और उन्हें मजबूत किया। मूलनिवासी बहुजन समाज जो अपने दुश्मनों को अपना दोस्त समझकर उनकी व्यवस्था को मजबूत कर रहा था, उसे दोस्त और दुश्मन की पहचान कराई। उन्होंने अपने पूरे जीवन में साधन व संसाधनों का कभी बहाना नहीं किया। यहां तक कि साधनों और संसाधनों की कमी को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। मान्यवर ने ब्राह्मणों द्वारा समाज में जातियां निर्माण करके जो आपसी अविश्वास निर्माण किया था उनमें आपसी विश्वास का पुनर्निमाण करके 'नहीं हो सकता है' की मानसिकता को 'हो सकता है।

की मानसिकता में तब्दील कर दिया, यानी हो, सकता है ऐसा विश्वास पैदा किया। समाज में स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर आन्दोलन निर्माण करने के लिए समाज के ही लोगों को बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम लगाने के लिए तैयार किया। 85 प्रतिशत का बृहत्तर समाज होने के बावजूद भी जिस समाज का अपना खुद का कोई सामा. जिक संगठन या आन्दोलन नहीं था उस समाज का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किया।

सन् 1981 में 'डीएस-4' नाम का एक 'नान इम्प्लाई' लोगों का संगठन बनाया जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न समस्याओं को लेकर आन्दोलन करना था। सन् 1984 में उन्होंने 'दलित' के बजाए 'बहुजन समाज पार्टी' का निर्माण किया। उन्होंने महसूस किया कि 'दलित' शब्द समाज के दुश्मन ब्राह्मणों द्वारा जान बूझकर इसलिए इस्तेमाल और प्रचारित किया जाता है क्योंकि इससे अल्पसंख्य हाने का बोध होता रहे। इसलिए मान्यवर कांशीराम ने दलित शब्द का परित्याग करके बहुजन शब्द इस्तेमाल किया। बहुजन समाज जो कांग्रेस और भाजपा जैसी ब्राह्मणों की पार्टियों का केवल वोट बैंक समझा जाता था, जिसमें एक सशक्त राजनीतिक पार्टी की कमी थी। उस कमी को दूर करने के लिए ही कांशीराम ने 'बहुजन समाज पार्टी' का निर्माण किया और जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर तथा चलाकर समाज के लोगों में यह विश्वास कायम किया कि हम सरकार बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। उन्होंने अपना और अपने समाज का मनोबल कभी गिरने नहीं दिया।

बहुजन समाज की अपनी जब रा. जनीतिक पहल मजबूत होने लगी तब ब्राह्मणों ने देश में 'बाईपोलर' (द्वि-दलीय) संसदीय जनतंत्र का निर्माण किया लेकिन मान्यवर कांशीराम कभी भी उसका हिस्सा नहीं बने, बल्कि कांग्रेस तथा बीजेपी जैसी प्रतिस्थापित ब्राह्मणवादी पार्टियों के नाक में दम करते रहे उनके जीते जी कांग्रेस, भा. जपा अथवा समाज के दुश्मन ब्राह्मण कभी भी बहुजन समाज पार्टी पर प्रभावी नहीं हो सके। परन्तु उनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व से ही और मृत्यु के बाद तो बहुजन समाज पार्टी पर ब्राह्मण पूरी तरह से प्रभावी हो गये। ब्राह्मणों ने बहुजनों के राजनीतिक मिशन को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की। बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन में तब्दील करके मायावती ने मान्यवर साहब की संकल्पना का काउन्टर कर दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा बहुजन समाज का राजनीतिकरण कर दिया गया था मगर मान्यवर कांशीराम ने राजनीति का सामाजीकरण करने में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे। परन्तु जबसे पार्टी में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता चला

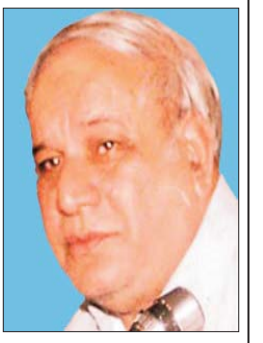

गया तब फिर से ब्राह्मणों ने बहुजन समाज का राजनीतिकरण कर दिया। बहुजन समाज में मान्यवर ने जो विश्वास कायम किया था जो प्रेरणा भरी थी, ब्राह्मणों ने पुनः समाज में अविश्वास और निराशा पैदा कर दी।

मान्यवर साहब के बाद स्वयं को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित करने वालो में बहुजन मिशन चलाने के लिए या तो योग्यता की कमी है या तो इमानदारी की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राष्ट्रीय मान्यता समाप्त हो गयी और बीएसपी एक क्षेत्रीय स्तर की पार्टी में रूपान्तरित हो गयी है। मान्यवर ने जिस पार्टी को फर्श से लेकर अर्श तक विस्तारित किया था वह पार्टी आज की तारीख में अर्श से फर्श पर आ गयी है। इस प्रकार से उत्तराधिकारी के नाकामियों, से मिशन के बजाए सत्ता लोलुपता तथा भ्रष्ट आचरण की वजह से बहुजन समाज ब्राह्मणवादी राजनीति का बुरी तरह से शिकार हो रहा है। ब्राह्मण पुनः राजनीतिक स्वच्छन्द हो गया है और संविधान को धता बताते हुए बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों को तीव्रता के साथ बेखौफ होकर समाप्त कर रहा है।

आखिर समाज का बुद्धिजीवी वर्ग कब तक यूंही अपना और अपने समाज का सर्वनाश होते हुए देखता रहेगा? क्या मान्यवर साहब का त्याग और समर्पण यूं ही व्यर्थ चला जायेगा? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगी। इसलिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर मान्यवर साहब के सपनों को साकार करने के लिए समाज के सामने एक नये विकल्प को मजबूती प्रदान करके समाज में पुनः आपसी विश्वास और उम्मीद जगाते हुए मूलनिवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणवादी राजनीति का शिकार होने से बचाना होगा तभी हम लोग अपने आदर्शों को जीवित रख सकेंगे। अगर हम लोग अपने आदर्शों को नहीं पाये तो हमारे अस्तित्व के नष्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।

महाड़ सत्याग्रह की ऐतिहासिकता

१९२८ में डॉ.आंबेडकर के नेतृत्व में चलाया गया महाड सत्याग्रह शूद्रों-अतिशूद्रों के संघर्षों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके माध्यम से ब्राह्मणों को खुली चुनौती दी गई थी। इस सत्याग्रह के ९० वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्या है इसकी ऐतिहासिक महत्ता आईये इसकी प्रासंगिकता के बारे में जानते हैं।

भारत के सामाजिक आन्दोलन में महाड़ क्रान्ति दिवस के नाम से प्रसिद्ध चवदार तालाब के ऐतिहासिक सत्याग्रह को तथा उसके दूसरे दौर में मनुस्मृति-दहन की चर्चित घटना को शोषितों के विमर्श में वही स्थान, वही दर्जा प्राप्त है, जो हैसियत फ्रांसिसी क्रांति की यादगार घटनाओं से संबंध रखती है।

कहने के लिए तो उस दिन अछूतों ने और ऐसे तमाम लोगों ने जो अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए संघर्षरत थे, महज तालाब का पानी पिया था, लेकिन रेखांकित करनेवाली बात यह थी, कि इस छोटे से दिखनेवाले इस कदम के जरिये उन्होंने हजारों साल से जकड़ बनायी हुई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था। जानवरों को भी जिस तालाब पर जाने की मनाही नहीं थीं, पर वहाँ इंसानियत के एक हिस्से पर धर्म के नाम पर सदियों से लगायी गयी इस पाबंदी को तोड़ कर वह सभी नई इबारत लिख रहे थे।

महाड़ सत्याग्रह के बारे में मराठी में गर्व से कहा जाता है कि वही घटना 'जब पानी में आग लगी थी' उसने न केवल अछूतों आत्म-सम्मान की स्थापना की बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक सामाजिक ताकत के तौर पर उनके भारतीय जनता के बीच अपने आगमन का संकेत दिया था। अछूतों द्वारा खुद अपने नेतृत्व में की गयी यह मानवाधिकारों की घोषणा एक ऐसा हुंकार था, जिससे भारत की सियासी तथा सामाजिक हलचलों की सूरत हमेंशा के लिए बदल दी। एक हिन्दू पुरूष या स्त्री, जो कुछ भी वह करते हैं, वह धर्म का पालन कर रहे होते हैं, एक हिन्दू धार्मिक तरीके से खाना खाता है, पानी पीता है, धार्मिक तरीके से नहाता है या कपड़े पहनता है, धार्मिक तरीके से ही पैदा होता है, शादी करता है और मृत्यु के बाद जला दिया जाता है। उसके सभी काम पवित्र काम होते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष नजरिये से वह काम कितने भी गलत क्यों न लगे, उसके लिए वह पापी नहीं होते, क्योंकि उन्हें धर्म के द्वारा स्वीकृति मिली होती है। अगर कोई हिन्दू पर पाप करने का आरोप लगाता है, उसका जवाब होता है, 'अगर मैं पाप करता हूँ, तो मैं धार्मिक तरीके से ही पाप करता हूँ।'

वह १९३० का दशक था जिसने ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह को एक पृष्ठभूमि प्रदान की। सभी जानते हैं कि देश और दुनिया के पैमाने पर यह एक काल था। महान सर्वहारा अक्तूबर क्रांति के पदचाप भारत में भी सुनाई दे रही थी। नये आधार पर एक नयी कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की योजनाएँ आकार ग्रहण कर रही थी। यही वह काल था जब गांधी के नेतृत्ववाली कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने असहयोग आन्दोलन में जोरदार हिस्सा लिया था। जाति-प्रथा की विष फैलाते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में राजनीतिक, सामाजिक हलचलें भी इन दिनों तेज हो रही थीं। पतु आखली, वैकोम आदि स्थानों पर होनेवाले सत्याग्रहों के जरिये ब्राहमणवाद तथा जाति-प्रथा की जड़ को चुनौती दी जा रही थी। यही वह दौर था जब असहयोग आन्दोलन की असमय समाप्ति के बाद देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने के मसले सामने आने लगे थे। हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों में तेजी देखी गयी थी।

1923 में बुंबई विधान सभा में रावसाहेब बोले की पहल पर यह प्रस्ताव पारित हुआ कि, ''सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों के साथ होनेवाले भेदभाव पर रोक लगायी जाए।'' बहुमत से पारित इस प्रस्ताव के बावजूद तीन साल तक यह प्रस्ताव कागज पर ही बना रहा। उसके न अमल होने की स्थिति में 1926 में जनाब बोले ने नया प्रस्ताव रखा कि सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों द्वारा इस पर अमल न करने की स्थिति में उनको मिलनेवाली सरकारी सहायता राशि में कटौती की जाय।

विलायत से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अछूतों शोषितों के बीच जागृति तथा संगठन के काम में जुटे थे। उन्हीं दिनों महाड़ तथा आसपास के कोंकण के इलाके के अछूतों के बीच सक्रिय लोगों ने एक सम्मेलन की योजना बनायी तथा उसके लिए डॉ.अंबेडकर को आमंत्रित किया। इस सम्मेलन के प्रमुख संगठनकर्ता थे महाड़ के वीरेश्वर थिएटर में हो रहे इस सम्मेलन में लगभग तीन हजार लोग एकत्रित थे जिनमें महिलाएँ भी भारी सँख्या में उपस्थित थीं।

सम्मेलन के अपने धारदार भाषण में बाबासाहब डां.अम्बेडकर ने कहा कि, **''सदियों से चली आ रही ब्राहमणवाद की गुलामी की मानसिकता से विद्रोह करने के लिए दलितों तथा अन्य शोषितों का आवाहन किया। महाड़ सत्याग्रह की चर्चित घोषणा में उन्होंने कहा कि ''तीन चीजों का तुम्हें परित्याग करना होगा। उन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा, जिनके कारण तुम पर लांछन लगाये जाते हैं। दूसरे, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परम्परा को भी छोड़ना होगा और सबसे अहम है कि तुम उस मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो।''** उनका यह भी कहना था कि **''क्या यहाँ हम इसलिए आये हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है? क्या यहाँ हम इसलिए आये हैं कि, यहाँ के जायकेदार कहलानेवाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इन्सान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आये हैं।''**

उन्होंने बाद में सम्मेलन को संबोधित किया और लोगों का आवाह्न किया कि प्रस्तुत सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिए बिना पूरा नहीं समझा जाना चाहिए। उनका कहना था कि, ''समाज में जारी छूआछूत की प्रथा के चलते आज भी इलाके के अछूतों को चवदार तालाब जो सार्वजनिक तालाब है, उसमें से पानी लेने नहीं दिया जाता।'' महाड़ नगरपालिका द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद वह कागज पर ही बना हुआ है। अगर यह सम्मेलन इस प्रथा की समाप्ति के लिए आगे आता है तो यह कहा जा सकेगा कि इसने एक महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा किया। चित्रे के चंद शब्दों ने पूरे जन समूह को संबोधित किया और वह

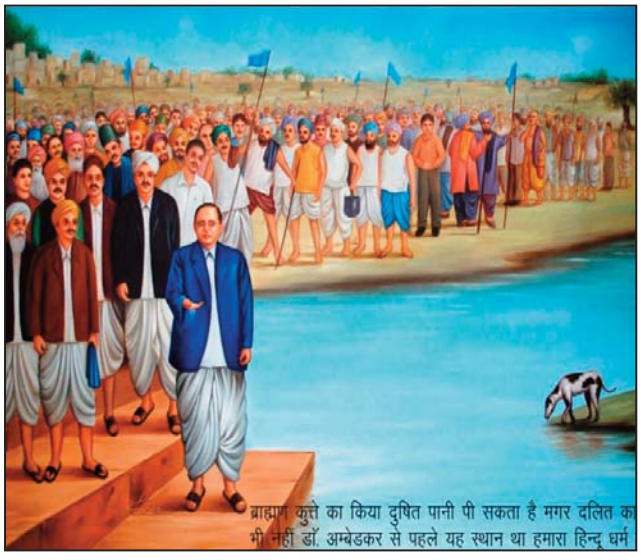

डा.अंबेडकर की अगुआई में कतारबद्ध होने लगे।

20 मार्च की तपती दुपहरिया में लगभग चार हजार की तादाद में जमा जन-समूह ने चवदार तालाब की ओर कूच किया। समूचे महाड़ नगर में उनका अनुशासित जुलूस आगे बढ़ा और जुलूस में शामिल लोग नारे लगा रहे थे। जुलूस तालाब पर जाकर रूका और फिर सबसे पहले अम्बेडकर ने अपनी अंजुरीभर पानी पिया और फिर जुलूस में शामिल हजारों लोगों ने पानी पीया।

गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक सत्याग्रह में गैर-ब्राहमण आन्दोलन के शीर्षस्थ नेताओं के साथ साथ मेहनतकशों के आन्दोलन से जुड़े क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी शामिल थे। अछूतों द्वारा चवदार तालाब पर पानी पीने की घटना से बौखलाये सवर्णों ने यह अफवा फैला दी कि चावदार तालाब को अपवित्र करने के बाद ये 'अछूत' वीरेश्वर मंदिर पर धावा बोलनेवाले हैं। पहले से ही तैयार सवर्ण युवकों की अगुआई में सभा स्थल पर लगे तंबू-कनात पर हमला करके कई लोगों को घायल किया गया।

अछूतों के इस ऐतिहासिक विद्रोह के प्रति मीडिया की प्रतिक्रिया में भी उसके जातिवादी आग्रह साफ दिख रहे थे। कई सारे समाचार-पत्रों ने डॉ. अम्बेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू किया। 28 मार्च को अछूतों को संबोधित करते हुए कहा कि, ''आप लोग मंदिरों और जलाशयों को छूने की कोशिशें तुरंत बंद कीजिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम तुम लोगों को सबक सीखा देंगे। इसके जवाब में बाबासाहब ने लिखा कि ''जो हमें सबक सीखाने की बात कर रहे हैं हम उनसे भी निपट लेंगे'' बहरहाल जिस तरह का आलम था उसके इस बात की जरूरत महसूस की गयी कि अपनी बात जनमानस तक पहुँचाने के लिए एक स्वतंत्र अखबार होना चाहिए। पहले निकाले जाते रहे अखबार 'मूक नायक' का प्रकाशन बंद हो चुका था। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बुंबई लौटने पर चंद दिनों के अन्दर ही 'बहिष्कृत भारत' नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया।

22 अप्रैल के अंक में बाबासाहब ने लिखा 'गाँधीजी की तरह आज तक हम लोग भी यही मानते आये थे कि, अस्पृश्यता यह हिन्दुधर्म के ऊपर लगा कलंक है। लेकिन अब हमारी आंखें खुली हैं और हम समझ रहे हैं कि यह हमारे शरीर पर लगा कलंक है। जब तक हम इसे हिन्दुधर्म पर लगा कलंक समझते थे तब तक इस काम को हमने आप लोगों पर सौंपा था लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हुआ है कि यह हमारे शरीर पर लगा कलंक है तो इसे खत्म करने के पवित्र काम को हमने खुद स्वीकारा है।

महाड़ सत्याग्रह का दूसरा चरण पहले जितना ही क्रांतिकारी था। यह महसूस किया गया था कि यूं तो कहने के लिए महाड़ सत्याग्रह के अन्तर्गत 'चवदार तालाब' पर पानी पीने या छूने के लिए अछूतों पर लगायी गयी सामाजिक पाबंदी तोड़ दी गयी थी लेकिन अभी भी यह लड़ाई तो अधूरी ही रह गयी है। घटना के दूसरे ही दिन महाड़ के सवर्णों ने 'अछूतों' के स्पर्श से 'अपवित्र' हो चुके चावदार तालाब के शुद्धीकरण को अंजाम दिया था। घटना के चन्द दिनों के बाद महाड़ नगरपालिका ने अपनी एक बैठक में अपने पहले प्रस्ताव को वापस लिया था। तथा महाड़ के चन्द सवर्णों ने अदालत में जाकर यह दरखास्त दी थी कि यह 'चावदार तालाब' दरअसल 'चौधरी तालाब' है और यह कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है।

बम्बई में इसी के लिए आयोजित एक सभा में 03 जुलाई 1927 को बाबासाहब ने कहा ''सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई। लेकिन यह लड़ाई तलवार, बंदूकों, तोप तथा बम गोलों से नहीं करनी है बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पतुआखली, वैकोम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया उसी तरह महाड़ में हमें सत्याग्रह करना है।

शेष अगले अंक में...

मौलाना हजरत सज्जाद नोमानी साहब पर लगाये गये देशद्रोह का मुकदमा के खिलाफ पूरे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा एवं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न।

कटिहार, बिहार

गया, बिहार

भोपाल,मध्य प्रदेश

पटना, बिहार

हाजीपुर,वैशाली, बिहार

धर्म परिवर्तन तो हुआ, लेकिन विचार परिवर्तन नहीं हुआ-वामन मेश्राम

पिछले अंक का शेष...

आखिर सेवा करना किस का श्रद्धामय कर्तव्य होना चाहिए? संघ का या रामकृष्ण मिशन का? इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। फिर भी संघ बेकार लोगों की एक सेना है। हम संख्या में कम भिक्खु को चाहिए कि वह ईसाई पादरियों से और खास कर जेसुईट पादरियों से कुछ बातें सिखें। ऐशिया में ईसाई धर्म का फैलाव विद्या और चिकित्सा द्वारा की गई सेवाओं से हुआ है। ईसाई धर्म के लिए यह इसलिए संभव हुआ कि ईसाई पादरी न केवल अपने धर्म के ज्ञानी होते हैं, बल्कि वे कला और विज्ञान में प्रवीण होते हैं। वास्तव में पुराने काल से भिक्खुओं का यही आदर्श रहा। जैसा कि सर्वज्ञात है कि नालंदा और तक्षशीला विश्वविद्यालयों का संचालन भिक्खुओं द्वारा भिक्खुओं को नियुक्त करके हो जाता था। स्पष्ट है कि वें जरूर विद्वान लोग होंगे और यह भलीभांति जानते होंगे कि भिक्खुओं को अपने पुराने आदर्श की ओर लौटाना चाहिए। आज की स्थिति में पाये जानेवाले संघ जनता की इस प्रकार सेवा नहीं कर सकता और न ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।

काठमांडू (नेपाल) में २० नवंबर, १९५६ को आयोजित 'विश्व बौद्ध सम्मेलन' में शरीक हुए बौद्ध राष्ट्र के पतिनिधियों को मार्गदर्शन करते हुए बाबासाहब डा.अम्बेडकर ने अपने भाषण में भिक्खु संघ की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए बताया, '' बौद्ध राष्ट्रों में निवास करनेवालो युवा वर्ग को मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बुद्ध के वास्तववादी दर्शन पर विशष रूप से जोर देना चाहिए। उसी पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यदि कभी बौद्ध धर्म के सामने संकट की स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए बौद्ध राष्ट्रों के भिक्खुओं को ही जिम्मेवार माना जाएगा। क्योंकि व्यक्तिशः मुझे ऐसा लगता है कि जिन बौद्ध भिक्खुओं ने तन-मन-धन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था, उन कर्तव्यों का उनके द्वारा पालन नहीं किया गया, ऐसा ही उसका अर्थ होगा। आज कहां धम्म प्रसार हो रहा है? बौद्ध धम्म प्रसार की आज क्या स्थिति है? भिक्खु का वास्तविक कर्तव्य धम्म का प्रचार करना है। वह भिक्ख्यु आज क्या कर रहा है? आज का भिक्खु खा-पीकर विहार में स्वस्थ रहता है। वह केवल एक समय ामें भोजन करता है इसमें कोई रा राय नहीं है। किन्तु उसका ज्यादातर समय केवल आलस में ही जाता है। वह थोड़ी-बहुत पढ़ाई करता है, परन्तु ज्यादा तर वह नींद में ही होता है। शाम का समय संगीत में बीतता है। यह धम्म प्रचार का मार्ग बिल्कुल नहीं है। किसी पर टिका-टिप्पणी करना मेरा मकसद नहीं है। धम्म में यदि समाज में नव-जागृति करने की शक्ति है, तो धम्म की विचारधारा का आप ने लोगों के यकान पर निरंतर वर्षव करते रहना चाहिए। धम्म का दर्शन निरंतर लोगों के कानों पर पड़ना चाहिए।''

तथागत बुद्ध ने ''विनयपीटक' बनाया। संघ के आचरण के नियम बनाये। बुद्ध ने दो धर्म बतायें। एक कालसंगत और दूसरा कालबाह्य हो जाती है, जो धर्म कालबाह्य हो गया उसे छोड़ देना चाहिए। जो कालबाह्य धर्म को पकड़कर रखेगा, वह सनातनी कहलाएगा। ऐसे कहा जाएगा कि यह आदमी परिवर्तन को नहीं मानता। इसके विपरीत, जो कालसंगत है उसे ग्रहण करो। उसका निरंतर विकास करते रहो। दुनिया आप के लिए रूकनेवाली नहीं है। दुनिया आगे बढ़ेगी। अगर आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलोगें तो दुनिया आप को पीछे छोड़ देगी। दुनिया की बात तो दूर रही, आप अपने हाथ की कलाई पर जो घड़ी बांधते हैं, वह घड़ी भी आपके लिए रूकनेवाली नहीं है। घड़ी भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है। यह बुद्ध का नियम है।

जिस भिक्खु संघ के उद्देश्य एवं नियमों में परिवर्तन करने की बात पर बाबासाहब डा. अम्बेडकर ने जोर देते हैं, क्या हमारे जैसे छोट लोग यह काम कर सकते हैं? यदि मान लिया जाए कि यह काम हमने कर दिया, तो क्या हमारी बात कोई सुननेवाला है? यह एक बहुत पेचिंदा मामला है। सवाल खड़ा होता है कि फिर इसे निर्माण कौन करेगा? यदि यह निर्माण नहीं होगा तो जो लक्ष्य डा.बाबासाहब अम्बेडकर ने रखा था, वह कैसे हासिल होगा?

तथागत बुद्ध ने भिक्खु संघ के रूप में एक हथियार बनाया, साधन बनाया। इस साधन का इस्तेमाल कर बुद्ध ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। आंज हमारे सामने जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, उस परिस्थिति में हमें यह काम करना होगा। बौद्ध धर्म कितना महान धर्म है, यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि चुनौती का मामला तो यह है कि बौद्ध धर्म का सफलतापूर्वक फैलाव कैसे किया जाए? बौद्ध धर्म का संदेश जन-जन तक कैसे पहुँचाया जाए?

शेष अगले अंक में...

'धर्मान्तरण स्वतंत्रता बिल' का मूल उद्देश्य यह है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म के ऊपर लगाम लगाना–मा.सलमान मुर्मू, झारखंड।

अमृतसर/पंजाब–

मा. सलखान मुर्मू, झारखण्ड –

हम भारत के आदिवासी हिन्दू नहीं हैं, हमलोग प्रकृति के पूजक हैं। हमलोग सूरज, चाँद, पहाड़ और नदियों में अपने श्रृष्टिकर्ता को खोजते हैं और उन्हें पाते हैं। लेकिन हमारे साथ मुश्किल यह हो रही है कि भारत के लिए बाबासाहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, वो हम आदिवासियों के लिए कभी लागू ही नहीं हुआ और आज भी लागू नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम बड़ी ही मुसीबत में हैं। अभी हमने यहाँ (अधिवेशन में) एक बड़ी ही सच्ची बात सुनी कि मुसलमान अपने अलावा बाकी सभी लोगों को हिन्दू समझते हैं। ठीक इसी तरह हम आदिवासी भी समस्त गैर-आदिवासियों को दिक्कू कहते हैं, दिक्कू का मतलब है दुश्मन। यह बड़ी ही विचित्र बात है और इसी वजह से हम बड़ी ही मुसीबत में फँस गये हैं। क्योंकि हम किसी और को अपना दोस्त नहीं मान सकें हैं।

जहाँ भी आदिवासी क्षेत्र होता है, वह पहाड़-पर्वतों का क्षेत्र होता है और जो भी गैर-आदिवासी हमारे बीच आता है, चाहे वो पुलिस के रूप में, चाहे ब्लॉक के किसी कर्मचारी के रूप में, चाहे वनपाल के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में और चाहे ठेकेदार के रूप में आता है, तो वो कुछ न कुछ लूट के ही ले जाता है। आदिवासियों के जमीन के नीचे तो सोना, चाँदी, लोहा, कोयला, यूरेनियम और अभ्रक है। और सरकार बड़ी-बड़ी कम्पनियों के द्वारा सोना, चाँदी और कोयला आदि को लूटने के लिए रोज हम आदिवासियों का विस्थापन करती रहती है। यह विस्थापन और पलायन हमारे जीवन का एक हिस्सा सा बन गया है। इस कारण से हम आदिवासी सभी गैर-आदिवासियों को अब तक दिक्कू या अपना दुश्मन मानते रहे हैं। अभी हाल ही में २३ अक्टूबर को हमने रांची में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। जिसमें तकरीबन एक लाख की संख्या में आदिवासी शामिल हुए थे। उस जनसभा में वामन मेश्राम साहब और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब उपस्थित हुए थे। मेरे ऊपर भी आरोप लगना शुरू हो गया कि सालखन मुर्मू अब दिक्कू लोगों को लाना शुरू कर दिया। ये मुसीबत देखिये। अब हमें लोगों को समझाना पड़ रहा है कि हम अकेले-अकेले अपनी लड़ाई नहीं जीत सकेंगे।

आगे कहा कि मैं सन्-१९९८ से २००४ तक दो बार सांसद रहा। हमने अपने धर्म का नाम 'सरना धर्म' रखा है। इसका मतलब है 'प्रकृति पूजक धर्म।' संसद में भी इस मामले पर बात रखी। कटक हाईकोर्ट में हमने दो रिट (जनहित याचिका) दायर किये हुए हैं कि भारत सरकार बाकी दूसरे धर्मों को मान्यता देती है, जनगणना फॉर्मेट में उन धर्मों के लिए अलग से कालम है। हमें यानि हमारे सरना धर्म को भी मान्यता क्यों नहीं देती है? यह हमारे मौलिक अधिकार का मामला है।

२ अक्टूबर २०१६ को हमने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। मगर कई कोशिशों के बाद भी हमें यह अधिकार नहीं मिल सका है। अब नई कोशिश झारखण्ड 'धर्मान्तरण स्वतंत्रता बिल-२०१७' हो रही है, इसे भाजपा की सरकार ने लाया है। उस 'धर्मान्तरण स्वतंत्रता बिल' का मूल उद्देश्य यह है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म के ऊपर लगाम लगाना। क्योंकि इन आदिवासियों को आरएसएस और भाजपा के लोग थोक के भाव में हिन्दू बनाना चाहते हैं। एक तो आदिवासियों के धर्म की मान्यता की मांग को देना नहीं है, इसलिए कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप ये लोग मुसलमान या ईसाई न बन जाएं। इसलिए इनलोगों ने धर्मान्तरण बिल के माध्यम से डराने और धमकाने का तरीका निकाला है कि मुस्लिमों को डराओ-धमकाओ और ईसाइओं को धमकाओ जिससे कि आदिवासी न तो मुस्लिम की तरफ जाए और न तो ईसाई की तरफ जाएं। इनके लिए बस एक गेट (दरवाजा) खोलकर रखो 'हिन्दू' का। यानि हमें धर्म की मान्यता भी ना दी जाए और दो दरवाजे बन्द कर दो और तीसरा दरवाजा (हिन्दू का) खोल दो, ताकि उसी में सबको भेंड़-बकरियों की तरह घुसा दो। हमलोग बड़ी मुसीबत में हैं, कोई

हमारा साथ नहीं देता तो हम आदिवासी क्या करेंगे?

मुर्मू ने बताया कि उसी प्रकार से हमने अथक प्रयास से आदिवासियों की संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाया। आज तक न भारत सरकार ने और न ही राज्य सरकारों ने इस भाषा को हमारे पठन-पाठन का हिस्सा बनाया है। हम आदिवासियों के लिए बांग्ला, हिन्दी, उर्दू, इंग्लिश और उड़िया आदि विदेशी भाषा की तरह हैं। क्योंकि हमारे बच्चे अपने घरों में अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और स्कूलों में उनकी भाषा में पढ़ाया ही नहीं जायेगा, तो उनको विषय समझ में कैसे आयेगा? इसलिए उनके फेल होने की संभावनाएं और प्रतिशत भी ज्यादा हैं। हमलोगों को पास होने के लिए रटना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे आदिवासियों के बच्चे सर्वाधिक असफल होते हैं। एक तो धर्म के बाद भाषा का मामला है। उसी के साथ पूरे झारखण्ड में हमें विस्थापन और पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

१५ नवम्बर २००० को बिरसा मुण्डा के जन्मदिन पर झारखण्ड राज्य बना है। पूरे देश में आदिवासियों की आबादी बढ़ रही है, मगर झारखण्ड में आदिवासियों की आबादी घट रही है। पहले झारखण्ड में हम ५० प्रतिशत से ज्यादा थे, लेकिन अब हम २५ प्रतिशत ही रह गये हैं। इस प्रकार से मेरा झारखण्ड भी लूटा जा रहा है, मेरा धर्म भी लुट रहा है और मेरी भाषा भी लुटा रही है। लोग कहते हैं कि आदिवासी इस देश का सबसे पुराना है लेकिन स्थिति तो बड़ी मुश्किल वाली है। परन्तु अब मुझे खुशी है कि बामसेफ के नेतृत्व में वामन मेश्राम साहब और आपलोगों ने मेहनत की है कि अभी हमलोग भी 'डायनॉमिक' (गतिशीलता) को समझ पा रहे हैं कि हम सभी लोग एक हैं और हमसब को एक होकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम बच सकते हैं।

पूरे देश भर से यहाँ आये हुए हैं, सभी लोग मिलकर सच्ची आजादी को हासिल कर सकेंगे और एक नया भारत बना सकेंगे। यह जल्दी होगा। हमलोगों के बीच में हमारे दुश्मनों के द्वारा जो गलतफहतियाँ पैदा की गयी हैं, बस केवल उसको दूर करना है। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में भारत में इतनी बड़ी शक्ति तुरन्त बनेगी, जो इस देश के मूलनिवासियों, मजलूमों को एक चमत्कारित तरीके से आजाद करायेंगी।

उन्होंने कहा कि ६ दिसम्बर को नलबाड़ी (आसाम) में बाबासाहब अम्बेडकर के मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मुझे चलने के लिए कहा, तब मैंने मेश्राम साहब से निवेदन किया कि हमलोग ७ दिसम्बर को कोकड़ाझार जिले में एक जनसभा करेंगे। अभी तय हुआ है कि कोकड़ाझार के गोसाईगाँव में एक बड़ी सभा होगी, जिसमें कम से कम ५० हजार आदिवासी जमा होंगे और क्यों जमा होंगे, यह भी थोड़ा बता दूँ। आसाम की चाय बागानों में अंग्रेजों के जमाने में झारखण्ड से करीब ८० लाख आदिवासी ले जाये गये थे। मैं सालखन मुर्मू आदिवासी हूँ, संथाल हूँ, अनूसूचित जनजाति में हूँ। लेकिन वहाँ कोई मुर्मू है, संथाल है, वो अनुसूचित जनजाति में नहीं है। वहाँ ७० लाख आदिवासी अभी तक अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हैं। जबकि हम संथाल, मुण्डा, कड़िया जनजाति सभी आदिवासी में ही आते हैं। इसी माँग को लेकर २४ नवम्बर २००७ को आदिवासी भाईयों ने एक जुलूस निकाला, तो उस जुलूस के विरोध में आसाम सरकार बड़ी ही बर्बरता से पेश आई और कई आदिवासियों को मार डाला गया। साथ ही एक लक्ष्मी उरांव नाम की आदिवासी महिला को नंगा करके पीटा और दौड़ाया था। उसी तारीख की याद में २४ नवम्बर को एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जिसमें मैं लगभग हर साल जाता हूँ। इस बार मुझे चूँकि अमृतसर आना था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको जरा बाद में देखेंगे। इस बार इस कार्यक्रम में वामन मेश्राम साहब को ७ दिसम्बर को शामिल करेंगे।

आपने बताया कि मालदा जिले में भी कई लाख संथाल हैं। वहाँ भी इसी प्रकार 'सरना धर्म' के लिए लाखों आदिवासियों की एक सभा बुलायी है। अब चूँकि हमलोगों ने जो नया दौर शुरू किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और मायनॉरिटी को एक साथ दिखना चाहिए, तभी हमारे बीच की गलतफहमियाँ दूर हो सकेंगी।

प्रेषक,
"बहुजनों का बहुजन भारत"
(हिन्दी साप्ताहिक)
4765/46(तीसरी मंजिल) रैगरपुरा,
करोलबाग नई दिल्ली–110005
दूरभाषः 011–64592625

प्रति,

TUESDAY/WEDNESDAY
RNI. No. DELHI N/2000/2450
POSTAL REGD. NO. DL (C) -14/1129/2018 -20
LINCENSED TO POST WITHOUT PRE PAYMENT
REGD. NO. U (C) - 258/2018-2020
POSTAGE AT SRT NAGAR, NEW DELHI

केन्द्रीय कार्यालय : 4765/46, रैगरपूरा, करोलबाग, नई दिल्ली–110005 दूरभाष–011–64592625

Reg.: S-17809

बामसेफ एवं राष्ट्रीय किसान मोर्चा

वर्ष -2018 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत मूलनिवासी किसान मोर्चा एवं पिछड़ा वर्ग जागृति महासम्मेलन अन्तर्गत...

स्थल- नानाराव पार्क, फुलबाग कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) दिनांक- 01 अप्रैल,2018 दिन- रविवार।

समय–11 बजे से सायं 05 बजे तक।

उद्घाटक - मा.राम सुरेश वर्मा (राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा,नई दिल्ली।

मुख्य अतिथि-मा.एल.बी.पटेल (राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुर्मी क्षत्रिय महासभा)

विशिष्ठ अतिथि–मा.विकाश पटेल (प्रदेश प्रभारी, बामसेफ) **मा.हरीशचंद्र वर्मा** (प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा), **मा.किरण चौधरी** (प्रधान महासचिव, बहुजन मुक्ति पार्टी), **मा.रामपाल प्रजापति** (प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति महासभा), **मा.बैकुण्ठ नाथ यादव** (प्रदेश अध्यक्ष जनता दल सेकुलर), **मा.गंगा प्रसाद लोधी** (प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा उ.प्र.), **मा.सुदामा प्रसाद अकेला** (सम्पादक कुर्मी क्षत्रिय महासभा), **मा.राम स्वरूप यादव** (जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन महोबा), **मा.रामसिंह पटेल** (जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चित्रकूट), **मा.ओमकार नाथ कुशवाहा** (जिला अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा, कानपुर देहात), **मा.मुकेश सविता** (सामाजिक कार्यकर्ता, इटावा), **डा.शैलेन्द्र प्रसाद यादव** (जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उन्नाव), **मा.मौलाना हम्माद अनवर** (मंडल प्रभारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, कानपुर मंडल), **मा.रघुनाथ संखवार** (सेवानिवृत बैंक अधिकारी), **मा.रियाज अंसारी** (प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज)

विषय

1. ईव्हीएम द्वारा घोटाला करके चुनाव जीतने से लोकतंत्र की हत्या होने के कारण किसानों की आत्म–हत्या का सिलसिला अब उनके बेटे–बेटियों तक पहुँच गया है। एक आंकलन।
2. मूलनिवासी किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किये बगैर उसके द्वारा उत्पादित फसलों का उचित मूल्य ना मिलना तथा उनकी अन्य समस्याओं का समाधान संभव नहीं हैं। एक बहस

अध्यक्षता– वामन मेश्राम (राष्ट्रीय अध्यक्ष, बामसेफ)

"बहुजनों का बहुजन भारत" के इस अंक में प्रकाशित होनेवाले लेखकों के विचारों से संपादक सहमत है, ऐसा नहीं है।

बहुजनों का बहुजन भारत, हिन्दी साप्ताहिक मुद्रक, मालिक, प्रकाशित तथा संपादक-वामन चिंधूजी मेश्राम द्वारा वैदिक मुद्रणालय, 3957 गली अहीरान पहाड़ी धीरज, दिल्ली-10006 यहाँ मुद्रित कर म.नं० 4765/46(तीसरी मंजिल) रैगरपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-05 से प्रकाशित।